फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

वित्तीय वर्ष 2022-23

अनुदान संख्या व नाम : 43- परिवहन विभाग

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

(धनराशि रू० लाख में)

वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा।

अनुदान संख्या-43 (राजस्व)	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध अनुदान /विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनॉक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली राशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान /विनियोग
1	2	3	4	5	6
3055 00 001 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-01-वेतन	13284.00	295.75	295.75	196.83	13087.17
3055 00 800 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल-29-अनुरक्षण	200.00	100.00	100.00	100.00	100.00
योग-	**13484.00**	**395.75**	**395.75**	**296.83**	**13187.17**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या-43 (राजस्व)	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रत्याशित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
3055 00 800 03 00 3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल 08-कार्यालय व्यय	50.00	75.00	25.00	00	50.00
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	25.00	37.50	12.50	00	25.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

13-टेलीफोन पर व्यय	10.00	12.25	2.25	2.15	12.15
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	350.00	575.00	225.00	194.12	544.12
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	15.00	16.00	1.00	0.56	15.56
49-चिकित्सा व्यय	20.00	50.00	30.00	00	20.00
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	900.00	1000.00	100.00	100.00	1000.00
योग -	**1370.00**	**1765.75**	**395.75**	**296.83**	**1666.83**

1- स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है:-

(क) कतिपय कार्मिकों के सेवानिवृत्त होने, नवीन स्थायी भर्ती न होने तथा कार्मिक को देय ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत सम्बन्धी प्राप्त प्रस्ताव अपूर्ण होने अथवा प्राप्त पूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत की प्रक्रिया में होने के कारण।

(ख) शासकीय भवनों में स्थापित किये गये मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों से भवनों की मरम्मत/अनुरक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव विगत वर्षों की तुलना में अप्रत्याशित प्राप्त होने के कारण।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या-4215/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27-11-2018 के अनुपालन में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-165 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय द्वारा मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित दावों/मामलों के निस्तारण के लिये शासनादेश दिनांक 09-01-2019 द्वारा 71 जनपदों (अमेठी, अम्बेडकरनगर, श्रावस्ती व शामली को छोड़कर) में कुल 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनलों (लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज व मेरठ में 02 अधिकरण) की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जो वर्तमान में स्थापित व संचालित हैं।

इस योजना की विभिन्न मानक मदों पर व्यय हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 19-04-2022 द्वारा कुल धनराशि रू0 7055.97 लाख का आय-व्ययक अनुमान शासन के स्वीकृतार्थ प्रेषित किया गया, जिसके सापेक्ष रू0 5073.10 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। एम0ए0सी0टी0 कार्यालयों के पीठासीन अधिकारियों द्वारा सम्पूर्ण वर्ष हेतु की जा रही विभिन्न मदों में बजट मांग के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में प्रावधानित धनराशि का अनुपातिक बजट आवंटन प्रति अधिकरण हेतु किया गया है। पीठासीन अधिकारियों के बजट मांग पत्रों के निस्तारण हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 20-09-2022 द्वारा प्रेषित कुल धनराशि रू0 76610.01 लाख के विभागीय अनुपूरक बजट के प्रस्ताव में मोटर एक्सीडेंट क्लेम योजना हेतु रू0 1822.50 लाख के अनुपूरक बजट की मांग शासन से की गयी, किन्तु किन्हीं कारणोंवश अब तक अनुपूरक बजट प्रावधान नहीं हो सका।

परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र दिनांक 23-08-2022 तथा अनुस्मारक पत्र दिनांक 07-09-2022 द्वारा प्रदेश के समस्त पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय की कतिपय मानक मदों में वास्तविक आवश्यकता का आंकलन कराकर

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आंकलित धनराशि की सूचना परिवहन आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करें, अधिकरणों से प्राप्त सूचना के आधार पर संक्रमण हेतु प्रस्तावित मानक मदों में कुल धनराशि रू0 395.75 लाख की आवश्यकता अनुमानित होने के कारण।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या-RE-budget-1-254-E-9-233-X-2022-23, दिनॉक 04 जनवरी, 2023

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

ह0/-
(सिद्धार्थ श्रीवास्तव)
अपर निदेशक,
वित्त विभाग,
उ०प्र० शासन।

संख्या-2/2023/2878/तीस-3-2022, दिनॉक 04 जनवरी, 2023

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in